

‘प्रथम अपील का आदर्श प्रारूप’

सेवा में,
_____ / प्रथम अपीलीय प्राधिकारी,

(क) सम्पर्क विवरण :-

1. अपील कर्ता का नाम	
2. पता	
3. दूरभाष नं०	

(ख) सूचना का अधिकार के अभ्यावेदन का विवरण :-

1	जन सूचना अधिकारी, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की जा रही है, का पूर्ण विवरण	क. नाम	
		ख. पता	
2	आवेदन जमा करने की तिथि कृपया सूचना अधिकारी को करे गए आवेदन की प्रति संलग्न करें		
3	अपील के प्रमुख संक्षिप्त तथ्य	आवेदन किए जाने के 30 दिनों अन्दर कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ ।	
		निर्धारित अवधि में प्राप्त उत्तर से असंतुष्ट है कृपया उत्तर/ आदेश प्राप्त उत्तर की प्रति, यदि कोई है, संलग्न करें	
		अपील के आधार:- 1..... 2..... 3..... 4..... 5..... 6.....	
4	वांछित प्रार्थना		
5	अपील किए जाने की अन्तिम तिथि ।		
6	यदि अपील 30 दिनों के बाद की गई है तो निर्धारित अवधि में अपील न करने के क्या कारण थे ।		
7	अन्य दस्तावेजों की प्रतियां जिन पर भरोसा हो		

“ यद्यपि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अपील करने हेतु कोई फार्म निर्धारित नहीं है । तथापि यह अपील कर्ता के स्वयं के हित में उपयुक्त होगा कि वह अपनी अपील प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को करते समय इस आदर्श प्रारूप का प्रयोग करें जिससे कि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील के आधारों को सरलता से समझ सकें ।

घोषणा – अपील कर्ता यह घोषणा करता है कि यह अपील प्रथम बार की जा रही है । अन्य शब्दों में, इस अपील के अतिरिक्त अपील कर्ता द्वारा जन सूचना अधिकारी के इस आदेश के विरुद्ध कोई अपील पहले नहीं की गई है

दिनांक :
स्थान :

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर

नोट : दिल्ली जल बोर्ड के नामित प्रथम अपीलीय अधिकारी व जनसूचना अधिकारियों की सूची नीचे दी गई है।